

आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2011-12 में दो वर्षीय एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण करने हेतु निम्नांकित नर्स-2, का चयन किया गया है, जिनमें कम संख्या 6 व अंकित कार्मिक को जयपुर नर्सिंग कॉलेज ढंढ, जयपुर व शेष कर्मियों को कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर में दिनांक- 20.09.11 तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी है। इन कर्मियों के आवेदन निम्न शर्तों पर अग्रप्रेषित किये गये थे-

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरंत विभाग में अपनी उपस्थिति देगा, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रशिक्षण उपरांत कार्मिक किसी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेंगे।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जायेगी।
6. नियमानुसार बन्ध पत्र प्रस्तुत करेंगे।

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान
1	मधु जीनगर	नर्स-2	म०गांधी चिकि० भीलवाडा
2	सुभाष विश्णोई	नर्स-2	पीबीएम चिकि० बीकानेर
3	राजेश कुमार सैनी	नर्स-2	जीएनटीसी बीकानेर
4	प्रहलाद राम यादव	नर्स-2	सीएचसी सूरजगढ झुंझुनू
5	पवन कुमार	नर्स-2	एसएमएस हॉस्पि० जयपुर
6	नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी	नर्स-2	म०मा०चि० जोधपुर
7	कस्तूर चन्द मेघवाल	न०ट्यू	जीएनएमटीसी कोटा

अतः सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्मिक द्वारा उक्त शर्तों के अध्याधीन प्रशिक्षण के लिये कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त कर निदेशालय को अवगत करावें।

नोट:- यदि कोई कार्मिक प्रोबेशन अवधि में है तो उसे प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

क्रमांक- ई-11/नर्स-2/एमएससी/11/ 2007

दिनांक- 16-9-11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयोजक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर/बीकानेर/ जयपुर/जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर/सम्पूर्णानन्द कॉलेज जोधपुर।
4. अधीक्षक, महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा/पीबीएम चिकि० बीकानेर/सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर/मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर/एमबीएस हॉस्पिटल कोटा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सूरजगढ (झुंझुनू)
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का प्रकाशन विभाग की वैबसाईट पर करें।
8. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर